



RAS

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)

भाग - 9

राजस्थान की राज्य-राजनीति



राजस्थान की राज्य-राजनीति

S.No.	Chapter Name	Page No.
1.	राज्यपाल <ul style="list-style-type: none">• संवैधानिक प्रावधान• संवैधानिक स्थिति• राज्यपाल की नियुक्ति• अर्हताएं• कार्यकाल• राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें• वेतन• राज्यपाल की शक्तियां और कार्य:<ul style="list-style-type: none">○ कार्यकारी शक्तियां○ विधायी शक्तियां○ वित्तीय शक्तियां○ न्यायिक शक्तियां○ राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से अंतर○ राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति○ राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्तियों में अंतर:○ आपातकालीन शक्तियां○ राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां• राजस्थान के राज्यपालों की सूची• राजस्थान में राष्ट्रपति शासन	1
2.	मुख्यमंत्री <ul style="list-style-type: none">• संवैधानिक प्रावधान• मुख्यमंत्री की नियुक्ति• शपथ• अवधि• वेतन और भत्ते• मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य<ul style="list-style-type: none">○ राज्य मंत्रिपरिषद के संबंध में○ राज्यपाल के संबंध में○ राज्य विधानमंडल के संबंध में• कार्य• राज्यपाल के साथ संबंध• राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री• राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की सूची• राजस्थान के उपमुख्यमंत्री	9

<p>3.</p>	<p>मंत्रीपरिषद</p> <ul style="list-style-type: none"> ● संवैधानिक प्रावधान ● मंत्री परिषद का गठन ● नियुक्ति ● शपथ ● वेतन ● मंत्रियों के उत्तर दायित्व <ul style="list-style-type: none"> ○ सामूहिक उत्तरदायित्व ○ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ○ कानूनी उत्तरदायित्व ○ राज्यपाल को सहायता एवं सलाह ● मंत्रियों का अधिकार ● मंत्रिमंडल(केबिनेट) <ul style="list-style-type: none"> ○ मंत्रिमंडल समितियां ○ मंत्रीपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर ● राजस्थान राज्य मंत्रीपरिषद <ul style="list-style-type: none"> ○ मुख्यमंत्री ○ केबिनेट मंत्री ○ राज्य मंत्री 	<p>14</p>
<p>4.</p>	<p>विधान सभा</p> <ul style="list-style-type: none"> ● संवैधानिक प्रावधान ● संगठन <ul style="list-style-type: none"> ○ एक सदनीय विधानमंडल ○ द्विसदनीय विधानमंडल ● विधान परिषद का निर्माण/उन्मूलन ● विधान सभा का गठन ● विधान परिषद का कार्यकाल ● राज्य विधानमंडल की सदस्यता <ul style="list-style-type: none"> ○ योग्यता ○ अयोग्यताएं ○ शपथ या पुष्टि ○ स्थानों का रिक्त होना ● राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी <ul style="list-style-type: none"> ○ विधानसभा अध्यक्ष ○ विधानसभा के उपाध्यक्ष ○ परिषद के सभापति ○ परिषद के उपाध्यक्ष ○ शक्तियां और कर्तव्य ● राज्य विधानसभा सत्र <ul style="list-style-type: none"> ○ आहूत करना ○ स्थगन ○ सत्रावसान ○ विघटन ○ कोरम (गणपूर्ति) ○ सदन में मतदान 	<p>18</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● राज्य विधानमंडल में भाषा ● मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार ● राज्य विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया <ul style="list-style-type: none"> ○ साधारण विधेयक ○ दूसरे सदन में विधेयक ○ धन विधेयक ● विधान परिषद की स्थिति ● राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार <ul style="list-style-type: none"> ○ सामूहिक विशेषाधिकार ○ व्यक्तिगत विशेषाधिकार ● राजस्थान विधान सभा <ul style="list-style-type: none"> ○ राजस्थान विधान सभा का कार्यकाल (1952- 2019) ○ राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष ○ राजस्थान विधान सभा में महिला एवं आरक्षित प्रतिनिधित्व ○ प्रोटेम स्पीकर राजस्थान विधान सभा ○ राजस्थान विधान सभा में प्रतिपक्ष दल के नेता (1952 - 2019) 	
5.	<p>उच्च न्यायालय</p> <ul style="list-style-type: none"> ● संवैधानिक प्रावधान ● इतिहास ● संयोजन ● नियुक्ति ● न्यायाधीशों की योग्यता ● शपथ या पुष्टि ● न्यायाधीशों का स्थानांतरण ● वेतन या भत्ते ● न्यायाधीशों का कार्यकाल ● न्यायाधीशों को हटाना ● उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार <ul style="list-style-type: none"> ○ मूल क्षेत्राधिकार ● शक्तियां <ul style="list-style-type: none"> ○ अभिलेख न्यायालय (अनुच्छेद 215) ○ न्यायिक समीक्षा ● उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता ● विशेष उल्लेख <ul style="list-style-type: none"> ○ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ○ अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश ○ सेवानिवृत्त न्यायाधीश ● राजस्थान उच्च न्यायालय <ul style="list-style-type: none"> ○ राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में तथ्य ● राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनका कार्यकाल 	32
6.	<p>राजस्थान में जिला प्रशासन</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जिला प्रशासन ● जिला प्रशासन की विशेषताएं ● उप-संभागीय प्रशासन 	39

	<ul style="list-style-type: none"> ● तहसील का प्रशासनिक व्यवस्था ● ज़िला प्रशासन: संगठन ● जिला कलेक्टर / जिलाधीश <ul style="list-style-type: none"> ○ जिला कलेक्टर कार्यालय की उत्पत्ति ○ जिला कलेक्टर के कार्य और जिम्मेदारियां ○ कलेक्टर के रूप में ○ जिला मजिस्ट्रेट के रूप में ○ जिला प्रशासक के रूप में ○ जिला विकास अधिकारी के रूप में ○ जिले में समन्वय ○ आपदा प्रबंधन ○ चुनाव का संचालन ○ खाद्य और नागरिक आपूर्ति ○ अवशिष्ट कार्य ● उपखण्ड अधिकारी S.D.O. <ul style="list-style-type: none"> ○ उपखण्ड अधिकारी के कार्य ● तहसीलदार <ul style="list-style-type: none"> ○ तहसीलदार की भूमिका ○ तहसीलदार के प्रमुख कार्य ● कानूनगो गिरदावर <ul style="list-style-type: none"> ○ कानूनगो गिरदावर के कार्य ● पटवारी <ul style="list-style-type: none"> ○ पटवारी के प्रमुख कार्य ● पुलिस प्रशासन <ul style="list-style-type: none"> ○ जिला पुलिस अधीक्षक ○ मुख्य कार्य 	
7.	<p>स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज</p> <ul style="list-style-type: none"> ● स्थानीय स्वशासन (Local Self Government) <ul style="list-style-type: none"> ○ स्थानीय स्वशासन की विशेषताएँ ○ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ● संवैधानिक प्रावधान ● पंचायती राज का विकास <ul style="list-style-type: none"> ○ बलवंत राय मेहता समिति ○ अशोक मेहता समिति ○ ब्लॉक स्तरीय योजना पर दंतेवाला समिति ○ हनुमंत राव समिति ○ जी.वी.के राव समिति ○ एल. एम. सिंघवी समिति 	48

	<ul style="list-style-type: none"> ○ गाडगिल समिति / नीति और कार्यक्रम समिति ○ थुंगन समित ● 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम <ul style="list-style-type: none"> ○ महत्व ● 1996 का पेसा अधिनियम ● पंचायती राज के वित्तीय स्रोत ● पंचायती राज संस्थाओं के अप्रभावी निष्पादन के कारण ● नगर पालिका/निगम <ul style="list-style-type: none"> ○ संवैधानिक प्रावधान ● शहरी निकायों का विकास <ul style="list-style-type: none"> ○ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य - स्थानीय स्वशासन ● 1992 का 74वां संशोधन अधिनियम <ul style="list-style-type: none"> ○ मुख्य विशेषताएं ● शहरी सरकार के प्रकार ● नगरपालिका कर्मी ● निगम राजस्व ● स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद ● राजस्थान में पंचायतें <ul style="list-style-type: none"> ○ राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए अतिरिक्त नियम ○ राजस्थान में पंचायतों की संरचना ● ग्राम पंचायत ● पंचायत समिति ● जिला परिषद <ul style="list-style-type: none"> ○ राजस्थान में पेसा का कार्यान्वयन ○ राजस्थान स्थानीय निकायों में शिक्षा संबंधी प्रावधान अधिनियम-2015 ○ ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों का पुनर्गठन (कटारिया समिति) ● राजस्थान में शहरी प्रशासन <ul style="list-style-type: none"> ○ राजस्थान नगरपालिका विधेयक 2009 ○ राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक -2015 ○ नगर पालिका अधिनियम में संशोधन-राइट टू रिकॉल का प्रावधान ○ नगर विकास न्यास (UIT) ○ छावनी मंडल 	
8.	<p>राजस्थान लोक सेवा आयोग</p> <ul style="list-style-type: none"> ● आरपीएससी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान <ul style="list-style-type: none"> ○ संरचना (अनुच्छेद 316) ○ निष्कासन और निलंबन (अनुच्छेद 317) ○ स्वतंत्रता ○ एसपीएससी (आरपीएससी) की शक्तियां और कार्य 	69

	<ul style="list-style-type: none"> ● राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC): विशेष तथ्य <ul style="list-style-type: none"> ○ RPSC के वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य ● राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 	
9.	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग <ul style="list-style-type: none"> ● आयोग की संरचना ● कार्यकाल ● नियुक्ति और निष्कासन ● शक्तियां और कार्य *RAS Pre 2013 ● अर्ध-न्यायिक शक्तियां ● राजस्थान एसएचआरसी के बारे में *RAS Pre 2018 <ul style="list-style-type: none"> ○ नवीनतम घटनाक्रम ○ पूर्व अध्यक्ष और सदस्य *RAS Pre 2013 	74
10.	राजस्थान के लोकायुक्त <ul style="list-style-type: none"> ● लोकपाल और लोकायुक्त ● राजस्थान के लोकायुक्त के कार्यालय का इतिहास ● नियुक्ति ● योग्यता ● कार्यकाल ● भत्ते ● निष्कासन ● लोकायुक्त के दायरे से बाहर के पद और व्यक्ति ● लोकायुक्त - राजस्थान <ul style="list-style-type: none"> ○ लोकायुक्त की शक्तियाँ ○ वार्षिक प्रतिवेदन ● लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त (कार्यकाल) <ul style="list-style-type: none"> ○ उपलोकायुक्त 	77
11.	राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान <ul style="list-style-type: none"> ● राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ● इतिहास *RAS Pre 2013/ 2021 ● संगठन चार्ट ● राज्य निर्वाचन आयोग संरचना ● राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्ति एवं कार्यकाल ● राज्य निर्वाचन आयोग पद से हटाना ● राज्य निर्वाचन आयोग कार्य *RAS Pre 2013 ● मुख्य निर्वाचन अधिकारी ● उप-मुख्य निर्वाचन अधिकारी 	81

	<ul style="list-style-type: none"> ● जिला स्तरीय निर्वाचन तन्त्र <ul style="list-style-type: none"> ○ जिला निर्वाचन अधिकारी ○ रिटर्निंग अधिकारी ○ सहायक रिटर्निंग अधिकारी ○ मतदान अधिकारी ● निर्वाचन आयुक्त <ul style="list-style-type: none"> ○ कार्यकाल ○ आयुक्त की पदावधि तथा सेवाशर्ते ○ राज्य निर्वाचन आयोग का सचिवालय ○ कार्मिक व्यवस्था एवं व्यय 	
12.	राजस्थान राज्य सूचना आयोग <ul style="list-style-type: none"> ● संरचना ● कार्यकाल एवं सेवा शर्ते ● शक्तियां एवं कार्य ● राजस्थान राज्य सूचना आयोग ● सूचना के अधिकार अधिनियम में विभिन्न तरह की चुनौतियाँ ● सूचना के अधिकार को सशक्त बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव 	86
13.	लोक नीति <ul style="list-style-type: none"> ● अर्थ ● नीति निर्माण ● लोकनीति के प्रमुख लक्षण ● नीति निर्माण के प्रकार ● नीति निर्माण के अंग ● लोक नीति के प्रमुख ध्येय ● लोक प्रशासन और गणतंत्र ● लोक नीति के आयाम <ul style="list-style-type: none"> ○ विधिक आयाम ○ पारिस्थितिकीय आयाम ○ हितक आयाम ● लोक क्षेत्र ● लोकनीति में नीतिक तत्त्व ● लोकनीति और सम्बद्ध अवधारणायें ● लोकनीति का क्षेत्र (Scope of Public Policy) <ul style="list-style-type: none"> ○ विकासात्मक नीति 	90

	<ul style="list-style-type: none"> ○ नियामक नीति ○ नवाचारी नीत ○ विविध नीति ● लोकनीति निर्माण प्रक्रिया के चरण ● भारत में लोकनीति निर्माण में समस्याएँ ● लोकनीति क्रियान्वयन में बाधाएँ ● भारत में नीति के मूल्यांकन में बाधाएँ 	
14	<p>विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र</p> <ul style="list-style-type: none"> ● विधिक अधिकार <ul style="list-style-type: none"> ○ विधिक अधिकार के प्रकार ○ नागरिक अधिकार ○ राजनीतिक अधिकार ○ आर्थिक अधिकार ● मानव और विधिक अधिकार <ul style="list-style-type: none"> ○ संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के रूप में ○ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ○ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2018 ○ राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 ○ राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 ● नागरिक अधिकार पत्र <ul style="list-style-type: none"> ○ नागरिक अधिकार पत्र के सिद्धांत (मूल रूप से तैयार किए गए) ○ भारत में नागरिक अधिकार पत्र ○ नागरिक अधिकार पत्र के उद्देश्य ○ नागरिक अधिकार पत्र की विशेषताएं ○ नागरिक अधिकार पत्र का महत्त्व ○ भारत में नागरिक अधिकार पत्र को लागू करने में चुनौतियां ○ दूसरी एआरसी की सिफारिशें 	94
15.	<p>राजस्थान की राज्य राजनीति</p> <ul style="list-style-type: none"> ● राजस्थान की दलीय प्रणाली ● राजस्थान में राजनितिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण और राजनीतिक जनांकिकी ● दो दलों में प्रतिस्पर्धा के कारण ● क्षेत्रीय दलों की भूमिका ● क्षेत्रीय दलों का विकास नहीं होने के कारण 	97


Dear Aspirant,
Thank you for making the right decision by choosing TopperNotes.
To use the QR codes in the book, Please follow the below steps:-



To install the app, scan the QR Code with your mobile phone camera or Google Lens




RAS Preparation APP by ToppersNotes



Download the app from Google Play Store



To Login enter your Phone Number



Choose your Course



Click on SCAN QR



Choose any QR CODE from book

- • Solution Videos
- • Concept Videos
- • Doubt Videos
- • Additional Learning Material
- • Topic wise practice
- • Weakness analysis
- • Rank Predictor
- • Test Practice

For any technical help, write us at hello@toppersnotes.com or whatsapp on [7665641122](https://wa.me/917665641122).

राजस्थान लोक सेवा आयोग

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2023

:- परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम :-

राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

राज्य की राजनीतिक व्यवस्था :-

- राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्, विधानसभा, उच्च न्यायालय।

प्रशासनिक व्यवस्था : -

- जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएं।

संस्थाएं : -

- राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग।

लोक नीति एवं अधिकार :-

- लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार-पत्र।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद:** भारत के संविधान के 153 से 161 तक राज्य कार्यपालिका में बताया गया है।
- **भाग:** भारत के संविधान का VI भाग
- **राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद**

अनुच्छेद	प्रावधान
153	राज्यों के राज्यपाल
154	राज्य की कार्यकारी शक्ति
155	राज्यपाल की नियुक्ति
156	राज्यपाल का कार्यकाल
157	राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता
158	राज्यपाल कार्यालय की शर्तें
159	राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान
160	कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य।
161	राजपाल को क्षमादान आदि की शक्ति
162	राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
163	राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्
164	मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जैसे नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन आदि
165	राज्य का महाधिवक्ता
166	राज्य की सरकार के कार्य का संचालन
167	राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के दायित्व
174	राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
175	सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार
176	राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
200	विधेयकों पर अनुमति
201	राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना
213	विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति
217	राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह देना
233	राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
234	राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति

संवैधानिक स्थिति

- **दोहरी भूमिका:**
 - राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख (संवैधानिक मुखिया) होता है।
 - केंद्र और राज्य सरकार के बीच प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
- किसी राज्य के कार्यकारी नेता होता है।
- राज्य के मंत्रिपरिषद् की सिफारिश पर कार्य करता है।
- सभी राज्य कार्यकारी गतिविधियों को औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है।
- राष्ट्रपति के मनोनीत व्यक्ति के रूप में राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है
- राज्य और केंद्र के बीच संचार और अंतःक्रिया के एक माध्यम के रूप में कार्य करता है।
- राज्य की गतिविधियों पर केंद्र को उद्यतन/अवगत कराने लिए जिम्मेदार होता है।

राज्यपाल की नियुक्ति

- **नियुक्ति:** राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र के माध्यम से होती है।
- **अनुच्छेद 153:** प्रत्येक राज्य का अपना राज्यपाल होना चाहिए।
- **7वां संशोधन अधिनियम 1956:** एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
 - वह एक या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करते हुए अलग-अलग राज्यों के मंत्रिपरिषद् की सिफारिशों पर कार्य करता है।

अर्हताएँ

राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए, एक व्यक्ति

- भारत का नागरिक होना चाहिए।
 - 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- इसके अतिरिक्त राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दो परंपराएँ जुड़ी हुई हैं।
- वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहाँ उसे नियुक्त किया गया है।
 - जब नियुक्ति हो तब उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लें।



कार्यकाल

- कार्यकाल: 5 वर्ष की अवधि के लिये होता है जो राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है
 - उनसे सामान्य पाँच साल से अधिक समय तक रहने का अनुरोध किया जा सकता है, जब तक कि उनका प्रतिस्थापन नहीं हो जाता।
- स्थानान्तरण: राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित भी कर सकता है।
- त्यागपत्र : राज्यपाल राष्ट्रपति को पत्र लिखकर किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है।
- अप्रत्याशित परिस्थितियाँ: संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, जैसे कि राज्यपाल की मृत्यु, राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यों की पूर्ति के लिए जो भी उपाय उचित समझे, कर सकते हैं (अनुच्छेद 160)।
- राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राज्यपाल की शक्तियाँ अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपी जा सकती हैं।

राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें

- संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और यदि है, तो राज्यपाल के रूप में शामिल होने से पहले उसे अपना पद छोड़ना होगा।
- किसी लाभ के कोई पद पर नहीं होना चाहिए।
- बिना किसी किराए के सरकारी आवास उपलब्ध होगा।
- संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के हकदार हैं।
 - दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल, उनकी परिलब्धियों को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में उनमें विभाजित किया जाता है।

- उनकी सेवा अवधि के दौरान उनकी परिलब्धियों और भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी।
- राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं।

RAS Pre 2013

वेतन

- राज्यपाल को राज्य की संचित निधि पर 3.50 लाख रुपये प्रति माह का वेतन मिलता है
- किराए से मुक्त आधिकारिक निवास और अन्य भत्तों के हकदार हैं।
- राज्य विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य

कार्यकारी शक्तियाँ

- राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रभारी: संविधान के अनुरूप, वह इसे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है।
- यह उन सभी विषयों पर लागू होता है जिन पर राज्य विधानमंडल का विधायी अधिकार होता है।
- समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर राष्ट्रपति के कार्यकारी अधिकार के अधीन होता है।
- राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होता है।
- उनके नाम पर जारी और लागू किए गए आदेशों और निर्देशों के प्रमाणीकरण के लिए प्रक्रिया स्थापित करने का अधिकार होता है
- सरकारी कार्यों के कुशल संचालन और मंत्रियों के बीच जिम्मेदारियों के वितरण के लिए मानक स्थापित करता है।

कुछ राज्यों के संबंध में शक्तियाँ:

झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा	94वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2006	जनजातीय देखभाल की देखरेख के लिए एक मंत्री की नियुक्ति सुनिश्चित करना।
असम	छठी अनुसूची	आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन

- नियुक्ति और संरक्षण के अधिकार
 - राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है।
 - राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त करता है (केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं।)

- राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243K) (243K)।
- राज्य के मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्ताव के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिस कर सकता है।



- राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है। **RAS Pre 2016**
- मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं।
- पुनर्विचार के लिए किसी भी विषय को मंत्रिपरिषद् के पास लाना होता है।
- राज्य के प्रशासन और विधायी उपायों से संबंधित मंत्रिपरिषद् के किसी भी निर्णय के साथ-साथ सरकार द्वारा अनुरोधित किसी भी जानकारी की आपूर्ति करने के लिए राज्यपाल को रिपोर्ट करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है।

विधायी शक्तियाँ

- राज्य के निचले सदन के लिए एक सदस्य और राज्य के उच्च सदन के लिए कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है।
 - राज्य विधान सभा के लिए आंग्ल-भारतीय समुदाय से एक सदस्य नियुक्त कर सकता है।
 - राज्य विधान परिषद् के कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित कर सकता है।
- राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र बुला सकता है, एक या दोनों सदनों का सत्रावसान या आहूत कर सकता है या विधान सभा को भंग कर सकता है।
- राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को अकेले या संयुक्त रूप से संबोधित करता है।
 - प्रत्येक नए सत्र की शुरुआत में और विधानसभा के आम चुनाव के बाद सत्र को सम्बोधित करता है, जिसमें वह आने वाले वर्ष के लिए अपनी सरकार की रणनीति तैयार करता है।
- राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के साथ संवाद कर सकते हैं।
- कानून बनने से पहले, राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित प्रत्येक विधेयक को राज्यपाल की सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

राज्यपाल

RAS Pre 2018

- उस विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है।
- सहमति के लिए उसे रोक सकता है।
- विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है
- यदि -
 - संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो।
 - राज्य नीति के निदेशक तत्वों के विरुद्ध हो।
 - देश के व्यापक हित के खिलाफ।
 - राष्ट्रीय महत्व का हो।

- संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो।
- विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, आंशिक या पूर्ण रूप से परिवर्तन और संशोधन का सुझाव दे सकता है।
 - लेकिन ऐसे विधेयकों को जब विधायिका द्वारा फिर से पारित किया जाता है, तो उन्हें राज्यपाल की सहमति प्राप्त होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि राज्यपाल किसी विधेयक को दूसरी बार राज्य विधानमंडल (अनुच्छेद 200) द्वारा पारित किए जाने पर अपनी सहमति को रोक नहीं सकता है।
- राज्य विधानमंडल में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
 - राज्य लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 323)
 - राज्य वित्त आयोग | अनुच्छेद 243(1)|
 - नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (अनुच्छेद 151)
- चुनाव आयोग की सिफारिश पर विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विषय को हल कर सकता है यदि उस व्यक्ति का चुनाव उसके राज्य में किसी मतदाता या मतदाताओं द्वारा याचिका के माध्यम से लड़ा जाता है (अनुच्छेद 192)।

वित्तीय शक्तियाँ

- कोई भी धन विधेयक या वित्तीय विधेयक राज्यपाल की सिफारिशों के बिना राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता है।
- बिना उनकी सहमति के विधान सभा में अनुदान के लिए अनुरोध नहीं किया जा सकता है।
- वह निर्धारित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट) को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जा सकता है।
- अनियोजित व्यय की स्थिति में, राज्यपाल राज्य की आकस्मिकता निधि से विधायिका द्वारा अनुमोदन लंबित रहने तक अग्रिम ले सकता है।
- वह हर पांच साल में पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए एक वित्त आयोग की नियुक्ति करता है।

न्यायिक शक्तियाँ

- राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति (अनुच्छेद 161): राज्य से संबंधित कानून के किसी भी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा, विराम या परिहार, और दंड की छूट प्रदान कर सकता है, साथ ही उसे निलंबित कर सकता है, और सजा काट सकता है।



राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से अंतर

राष्ट्रपति	राज्यपाल
सजा -ए-मौत को क्षमा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं।	आवागमन नहीं कर सकता, स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है।
कोर्ट मार्शल (सैन्य अदालत) द्वारा लगाए गए दंड को क्षमा कर सकते हैं।	इस तरह के दंड को माफ नहीं कर सकते या इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।
केंद्रीय कानूनों के तहत किसी भी दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा, विराम या परिहार, परिहार या लघुकरण कर सकता है।	राज्य के कानूनों के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है।

- **न्यायिक नियुक्तियाँ** : राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल से परामर्श करता है।
 - राज्य उच्च न्यायालयों की सहायता से जिला न्यायाधीशों का नामांकन, नियुक्ति और पदोन्नति करता है।
 - राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद, जिला न्यायाधीशों के अलावा, राज्य की न्यायिक सेवा के लिए लोगों का चयन करता है।

राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति

- **अनुच्छेद 213**: जब राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। इसमें कानून का बल है।

- **अध्यादेश जारी कर सकता है**, जब वह संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं, जहाँ तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
 - उन अध्यादेशों को प्रख्यापित करने से प्रतिबंधित किया गया है जिनमें प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें राज्य विधानमंडल में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है या जिन्हें राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया जाता है।
 - ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त कर अध्यादेश जारी किया जाता है।
- **राज्यपाल द्वारा जारी किया गया एक अध्यादेश विधानमंडल की पुनः सभा के छह सप्ताह बाद तक लागू नहीं होता है जब तक कि पहले अनुमोदित ना हो।**
 - किसी अध्यादेश के समाप्त होने से पहले किसी भी समय उसे वापस लिया जा सकता है।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्तियों में अंतर

राष्ट्रपति	राज्यपाल
अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी कर सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है।	अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी कर सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है।
संसद के अधिनियम के समान बल और प्रभाव होते हैं।	राज्य विधानमंडल के अधिनियम के समान बल और प्रभाव होते हैं।
उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करता है, जिनके संबंध में संसद विधि बनती है।	उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी करता है, जिन पर विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही मंत्री परिषद् की सलाह पर ही कोई अध्यादेश जारी या वापस ले सकता है।	राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही मंत्री परिषद् की सलाह पर ही अध्यादेश ला सकता है या वापस ले सकता है।
जारी अध्यादेश संसद दोनों सदनों के सामने रखा जाना चाहिए।	जारी अध्यादेश को पुनः निर्मित करने के लिए विधान सभा या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए (द्विसदनीय व्यवस्था में)।

आपातकालीन शक्तियाँ

- राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करें जब भी उन्हें लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 356) के अनुसार नहीं

- चलाया जा सकता है, जिससे राष्ट्रपति को राज्य के सभी सरकारी कार्यों (राष्ट्रपति शासन) के सभी या कुछ हिस्से को संभालने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।
 - "राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि" बन जाता है।



- वह प्रशासन को अपने हाथों में लेता है और सिविल सेवा की सहायता से राज्य का प्रशासन करता है।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ

- राज्यों में भी केंद्र की तरह संवैधानिक लोकतंत्र की व्यवस्था है।
- यदि कोई संदेह है कि क्या कोई विषय ऐसा है जिसके लिए राज्यपाल के पास विवेकाधीन अधिकार है, तो राज्यपाल का निर्णय निश्चित होता है।

राज्यपाल के पास निम्नलिखित संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियाँ हैं-

- राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करना
- राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना।
- सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक के रूप में कार्य करना।
- अनुसूची VI के तहत, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन के रूप में जनजातीय जिलापरिषद् को भुगतान करना।
- राज्य के विधानपरिषद् एवं प्रशासनिक एवं विधायी मामलों में मुख्यमंत्री की जानकारी प्राप्त करना।

राज्यपाल के पास निम्नलिखित परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियाँ हैं-

- मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब होती है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है या जब उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है।
- राज्य विधान सभा में विश्वास को साबित करने पर मंत्रिपरिषद् की बर्खास्तगी के मामले में होता है।
- यदि मंत्रिपरिषद् ने अपना बहुमत खो दिया है तो राज्य विधान सभा का विघटन होता है।

- राजस्थान और उत्तरप्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राज्य में प्रोटोकॉल की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन किया है।
- राज्यपाल सचिवालय से 26 अगस्त, 2014 को जारी आदेशों के अनुसार राज्य समारोहों, महानुभावों से होने वाले परस्पर वार्तालाप और शासकीय टिप्पणियों में 'हिज एक्सीलेंसी' यानी 'महामहिम' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- ऐसे अवसरों पर हिन्दी में माननीय राज्यपाल' अथवा 'राज्यपाल महोदय' का प्रयोग होगा। अंग्रेजी में 'ऑनरेबल गवर्नर' (Honourable Governor) संबोधित किया जाएगा।
- साथ ही राज्यपाल के नाम से पूर्व 'श्री, श्रीमती या सुश्री' का प्रयोग किया जाएगा।

राष्ट्रपति के निर्देशानुसार राज्यपाल के पास निम्नलिखित विवेकाधीन शक्तियाँ हैं-

- महाराष्ट्र: विदर्भ और मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए अलग-अलग विकास बोर्ड की स्थापना। (अनुच्छेद 371)
- गुजरात: सौराष्ट्र और कच्छ के लिए अलग-अलग विकास बोर्ड की स्थापना। (अनुच्छेद 371)
- नागालैंड: त्वेनसांग नागा पहाड़ियों पर आंतरिक अशांति के मद्देनजर कानून-व्यवस्था (अनुच्छेद 371A)
- असम: जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था (अनुच्छेद 371B)
- मणिपुर: राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था। (अनुच्छेद 371C)
- आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय विकास (अनुच्छेद 371D)
 - सिक्किम: राज्य की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक स्थिति के साथ शांति सुनिश्चित करना। (अनुच्छेद 371F)
 - अरुणाचल प्रदेश: राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना। (अनुच्छेद 371H)।
 - कर्नाटक: हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र का विकास। (अनुच्छेद 371J; 98वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2012 द्वारा जोड़ा गया)

राजस्थान के राज्यपाल के बारे में मुख्य तथ्य

- सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल थे।
- सवाई मानसिंह राजस्थान के पहले राजप्रमुख थे जिन्हें राज्यपाल के समकक्ष माना जाता है।
- 1 नवम्बर, 1956 को संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान में राजप्रमुख व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।
- श्रीमती प्रतिभा पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थीं।
- श्रीमती प्रभा राव राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल थीं।
- श्रीमती मार्गेट आल्वा राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल थीं।
- राजस्थान के राज्यपाल का ग्रीष्मकालीन प्रवास माउंट आबू राजस्थान में स्थित राजभवन में होता है।
- यह भवन 1868 में भारत के गवर्नर जनरल के



राजस्थान के राज्यपालों की सूची

राज्यपाल का नाम	पद ग्रहण	कार्यकाल समाप्त
महाराज मान सिंह द्वितीय (राजप्रमुख)	30-मार्च-49	31-अक्टूबर-56
गुरुमुख निहाल सिंह (प्रथम राज्यपाल) RAS Pre 2021	01-नवंबर-56	15-अप्रैल-62
संपूर्णानंद	16-अप्रैल-62	15-अप्रैल-67
सरदार हुकम सिंह	16-अप्रैल-67 / 24- दिसंबर-70	19-नवंबर-70 / 30-जून-72
जगत नारायण (कार्यवाहक)	20-नवंबर-70	23-दिसंबर-70
सरदार जोगिन्दर सिंह	01-जुलाई-72	14-फरवरी-77
वेदपाल त्यागी (कार्यवाहक)	15-फरवरी-77	11-मई-77
रघुकुल तिलक	12-मई-77	08-अगस्त-81
के.डी. शर्मा (कार्यवाहक)	08-अगस्त-81	05-मार्च-82
ओम प्रकाश मेहरा	06-मार्च-82 / 1 फरवरी 1985	04-जनवरी-85 / 3 नवंबर 1985
पी.के. बनर्जी (कार्यवाहक)	3 जनवरी 1985	3 नवंबर 1985
डॉ. पी. गुप्ता (कार्यवाहक)	4 नवंबर 1985	19 नवंबर 1985
बसंतराव पाटिल	20-नवंबर-85	14-अक्टूबर-87
जे.एस. वर्मा (कार्यवाहक)	15 नवंबर 1987 / 3 फरवरी 1989	19 फरवरी 1988 / 19 फरवरी 1989
सुखदेव प्रसाद	20-फरवरी-88 / 20 फरवरी 1989	02-फरवरी-90 / 2 फरवरी 1990
मिलाप चन्द जैन (कार्यवाहक)	03-फरवरी-90	13-फरवरी-90
देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	14-फरवरी-90	26-अगस्त-91
स्वरूप सिंह (राज्यपाल गुजरात)	26-अगस्त-91	04-फरवरी-92
मर्ी चेन्ना रेड्डी (अतिरिक्त प्रभार)	5 फरवरी, 1992	30-मई-93
धनिक लाल मंडल (राज्यपाल हरियाणा) (अतिरिक्त प्रभार)	31-मई-93	29-जून-93
बलि राम भगत	30-जून-93	30-अप्रैल-98
दरबार सिंह	01-मई-98	24-मई-98 (मृत्यु)
नवरंग लाल टिबरेवाल (कार्यवाहक)	25-मई-98	15-जनवरी-99
अंशुमान सिंह	16-जनवरी-99	13-मई-03
निर्मल चंद्र जैन	14-मई-2003	22-सितंबर-2003 (मृत्यु)
कैलाशपति मिश्र (राज्यपाल गुजरात) (अतिरिक्त प्रभार)	22-सितंबर-2003	13-जनवरी-04



मदन लाल खुराना (त्याग पत्र)	14-जनवरी-04	01-नवंबर-04
टी. वी. राजेश्वर (राज्यपाल उत्तर प्रदेश)(अतिरिक्त प्रभार)	01-नवंबर-04	08-नवंबर-04
प्रतिभा पाटिल (त्याग पत्र)	08-नवंबर-04	23-जून-07
अखलाक-उर-रहमान किदवई (राज्यपाल हरियाणा)(अतिरिक्त प्रभार)	23-जून-07	06-सितंबर-07
एस के सिंह (कार्यवाहक)	06-सितंबर-07	01-दिसंबर-09 (मृत्यु)
प्रभा राव (राज्यपाल हिमाचल प्रदेश) (अतिरिक्त प्रभार)	03-दिसंबर-09	24-जनवरी-10
प्रभा राव (कार्यवाहक)	25-जनवरी-10	26-अप्रैल-10 (मृत्यु)
शिवराज पाटिल (राज्यपाल पंजाब) (अतिरिक्त प्रभार)	28-अप्रैल-10	12-मई-12
मागरिट अल्वा (कार्यवाहक)	12-मई-12	07-अगस्त-14
राम नायक (अतिरिक्त प्रभार)	08-अगस्त-14	03-सितंबर-14
कल्याण सिंह	09-सितंबर-14	08-सितंबर-19
कलराज मिश्र	09-सितंबर-19	वर्तमान

- प्रभा राव चौथी ऐसी राज्यपाल है जिनका राजस्थान के राज्यपाल पद पर रहते हुए निधन (26 अप्रैल (2010) हुआ।
 - इससे पूर्व दरबार सिंह का 23 मई, 1998, निर्मलचंद जैन का 21 सितम्बर, 2003 और एस. के. सिंह का 1 दिसम्बर, 09 को निधन हो गया था। मदनलाल खुराना और प्रतिभा पाटिल) राज्य की पहली महिला राज्यपाल (ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था
- चुनावों में दुविधापूर्ण स्थिति (अस्पष्ट बहुमत) के परिणामस्वरूप सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन (13 मार्च, 1967 से 26 अप्रैल, 1967) लागू हुआ था
 - डॉ. सम्पूर्णानन्द के कार्यकाल 16-04-1962 से 15-04-1967 के दौरान 13 मार्च, 1967 राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया जो सरदार हुकुमसिंह के कार्यकाल 16-04-1967 से 19-11-1970 में 26 अप्रैल, 1967 तक रहा।
- चौथे राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सर्वाधिक लम्बा (15 दिसम्बर, 1992-3 दिसम्बर, 1993) था।
 - तत्कालीन राज्यपाल- एम. चेन्नारेड्डी, बलिराम भगत।
- 30जून 1993 से 30 अप्रैल 1998 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे श्री बलिराम भगत लोकसभा अध्यक्ष भी रहे।

राजस्थान में राष्ट्रपति शासन RAS Pre 2016 / 2013

प्रथम राष्ट्रपति शासन 1967 में

- कारण : 26 अप्रैल 1967 तक राज्य में चौथी विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था।
- अवधि : 13 मार्च 1967 - 26 अप्रैल 1967 (करीब 42 दिन का - सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन काल)।
- राज्यपाल : डॉ. सम्पूर्णानन्द
- मुख्यमंत्री : मोहनलाल सुखाड़िया
- राष्ट्रपति : डॉ. राधाकृष्णन
- प्रधानमंत्री : इंदिरा गांधी

द्वितीय राष्ट्रपति शासन 1977 में

- पाँचवी राजस्थान विधान सभा के दौरान
- अवधि : 30 अप्रैल 1977 - 21 जून 1977 तक
- मुख्यमंत्री : हरिदेव जोशी
- राज्यपाल : वेद पाल त्यागी
- कार्यवाहक राष्ट्रपति : बी. डी. जत्ती
- प्रधानमंत्री : मोरारजी देसाई

तृतीय राष्ट्रपति शासन 1980 में

- 17 फरवरी 1980 को पहली बार निर्वाचित सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तथा मध्यावधि चुनाव हुए थे।



- अवधि : 17 फरवरी , 1980 से 5 जून 1980 तक लागू रहा (करीब 100 दिन)।
- राज्यपाल : रघुकुल तिलक
- मुख्यमंत्री : भैरोसिंह शेखावत
- राष्ट्रपति : नीलम संजीव रेड्डी
- प्रधानमंत्री : इंदिरा गांधी

चौथा राष्ट्रपति शासन 1992 में

- कारण: बाबरी मस्जिद मुद्दे के कारण

- अवधि : 15 दिसंबर, 1992 - 3 दिसंबर, 1993
- मुख्यमंत्री : भैरोसिंह शेखावत
- राज्यपाल : डॉ. मरिचेन्ना (चंदा) रेड्डी
- राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भैरोसिंह शेखावत ने ही सरकार बनाई।
- राष्ट्रपति : डॉ. शंकरदयाल शर्मा
- प्रधानमंत्री : पी. वी. नरसिम्हा राव

वर्ष	राज्यपाल	मुख्यमंत्री
1967	डॉ. संपूर्णानंद	मोहनलाल सुखाड़िया
1977	वेद पाल त्यागी	हरिदेव जोशी
1980	रघुकुल तिलक	भैरोसिंह शेखावत
1992	मर्सी चेन्ना रेड्डी	भैरोसिंह शेखावत



संवैधानिक प्रावधान

- राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है।
- मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद -

अनुच्छेद	प्रावधान
163	मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्यपाल को सहायता और सलाह देना।
164	मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान।
166	राज्य की सरकार के कार्य का संचालन
167	राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य।
167(ए)	राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों को राज्य के राज्यपाल को सूचित करने के लिए।
167 (बी)	राज्यपाल को राज्य के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रासंगिक कानून के लिए कोई तथ्य या विचार प्रदान करना।
167 (सी)	यदि राज्यपाल की आवश्यकता है, तो किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद् के विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए, जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है, लेकिन जिस पर परिषद् अध्याय-III राज्य विधानमंडल द्वारा विचार नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति

- अनुच्छेद 164- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राज्यपाल को राज्य विधान सभा में बहुमत दल से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए।
- जब विधायिका में किसी एक दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री को चुन और नियुक्त कर सकता है।
 - विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता का चयन करता है, और उसे एक महीने के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश देता है।

शपथ

- कार्य ग्रहण से पूर्व राज्यपाल मुख्यमंत्री को गोपनीयता की शपथ दिलाता है -
 - भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और सत्यनिष्ठा रखूँगा।

- भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखूँगा।
- अपनी जिम्मेदारियों को सच्चाई और कर्तव्यनिष्ठा से निभाने के लिए।
- बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के सभी व्यक्तियों के साथ संविधान और कानून के अनुरूप सम्मान और शालीनता से न्याय करूँगा।
- वह किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) को उसके सामने प्रस्तुत की गई या राज्य मंत्री के रूप में ज्ञात होने वाली किसी भी विषय के बारे में प्रकट नहीं करूँगा, सिवाय इसके कि ऐसे मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को उचित रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक हो।

अवधि

- मुख्यमंत्री का कार्यकाल नियत नहीं, वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर रहता है।
- राज्यपाल द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है जब तक कि उसे विधान सभा में बहुमत प्राप्त न हो (एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले, 1994 में उच्चतम न्यायलय द्वारा शासित)।
- यदि वह विधानसभा में विश्वास खो देता है, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है।

वेतन और भत्ते

- मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है।
- वह राज्य विधानमंडल के प्रत्येक को मिलने वाले अपने वेतन और भत्तों के अलावा एक व्यय विषयक भत्ते, मुफ्त आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएँ और अन्य लाभ प्राप्त करता है।

मुख्यमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य

RAS Pre 2013

राज्य मंत्रिपरिषद् के संबंध में

- राज्य मंत्रिपरिषद् के अध्यक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- राज्यपाल को प्रस्तावित करता है कि किसे मंत्री के रूप में चुना जाता है।
- मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल करता है।



- असहमति के मामले में, किसी भी मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कह सकते हैं या राज्यपाल से उन्हें बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है।
- वह मंत्रिपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है और इसके फैसलों को प्रभावित करते हैं।
- वह मंत्रियों के सभी कार्यों का निर्देशन, देखरेख का आयोजन करता है।
- यदि वह इस्तीफा देता है या मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद् स्वतः भंग हो जाती है।
 - दूसरी ओर, किसी अन्य मंत्री का पद रिक्त रहता है, तो मुख्यमंत्री उसे भर या नहीं भर सकता।

राज्यपाल के संबंध में

- राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों को राज्य के राज्यपाल को सूचित करना। **RAS Pre 2013**
- महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों के नियुक्ति पर राज्यपाल को सलाह देता है।

राज्य विधानमंडल के संबंध में

सदन के मुखिया के रूप में -

- राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाने और सत्रावसान करने की सलाह देता है।
- राज्यपाल को किसी भी समय विधान सभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है।
- वह सभापटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है।

कार्य

- राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
- संबंधित क्षेत्रीय परिषद् के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, एक समय में इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है।
- अंतर-राज्य परिषद् और राष्ट्रीय विकास परिषद् का सदस्य होता है। **RAS Pre 2013**

7 अप्रैल, 1949 से 24 जनवरी, 1950 तक मुख्यमंत्री का पदनाम 'प्रधानमंत्री' रहा।

- राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।
- संकट के समय में राजनीतिक स्तर पर प्रमुख संकट प्रबंधक के रूप में कार्य करता है।
- लोगों के विविध समूहों के साथ बातचीत करता है और अन्य बातों के साथ-साथ उनके मुद्दों पर उनसे ज्ञापन प्राप्त करता है।
- सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है।

राज्यपाल के साथ संबंध

- अनुच्छेद 163- राज्यपाल को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, की वह अपने विवेक से अपने सभी कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर हो।
- अनुच्छेद 164-
 - (अ) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा।
 - (ब) मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करेंगे।
 - (स) मंत्रिपरिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधान सभा के प्रति होगी।
- अनुच्छेद 167 - यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है की वह -
 - (अ) राज्य के मामलों के प्रबंधन और विधायी उपायों से संबंधित मंत्रिपरिषद् के सभी फैसलों से राज्य के राज्यपाल को अवगत कराते हैं।
 - (ब) राज्य के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रासंगिक कानून के लिए राज्यपाल को कोई तथ्य या विचार प्रदान करते हैं।
 - (स) यदि राज्यपाल ऐसा निर्देश देता है, तो किसी भी वस्तु पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद् को पेश करने के लिए, जिस पर एक मंत्री ने निर्णय लिया है लेकिन परिषद् द्वारा विचार नहीं किया गया है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में मुख्य तथ्य

- राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे।
- पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे।
- जयनारायण व्यास एकमात्र मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री थे।
- मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक अवधि (चार बार) तक मुख्यमंत्री रहे।
- मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खां के समय भारत-पाक युद्ध(1971) हुआ।
- इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई।
- मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समय आपातकाल लागू हुआ।
- भैरोसिंह शेखावत पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। जगन्नाथ पहाड़िया पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने।
- हीरा लाल देवपुरा सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे।
- वसुंधरा राजे सिंधिया पहली महिला मुख्यमंत्री बनी।
- वर्तमान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं।



राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री	विवरण
अजमेर राज्य का मुख्यमंत्री	<ul style="list-style-type: none"> हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर के पहले और आखिरी मुख्यमंत्री रहे जो 24 मार्च, 1952 से 31 अक्टूबर, 1956 तक मुख्यमंत्री रहे। यह भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे।
पं. हीरालाल शास्त्री	<ul style="list-style-type: none"> 30 मार्च, 1949 को जब 22 देशी रियासतों का विलय कर राजस्थान का निर्माण किया गया तब जयपुर रियासत के पूर्व प्रधानमंत्री पं. हीरालाल शास्त्री को 30 मार्च, 1949 को ही नये राज्य का प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया। उन्होंने राजस्थान के प्रधानमंत्री के तौर पर 5 जनवरी, 1951 तक कार्य किया। देश में संविधान के लागू होने के बाद उनके पद का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया।
सी.एस. वेंकटाचारी	<ul style="list-style-type: none"> हीरालाल शास्त्री को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें पद से हटा दिया गया। उनकी एवज में ICS अधिकारी श्री सी.एस. वेंकटाचारी को मुख्यमंत्री का कार्यभार दे दिया गया। उन्होंने 25 अप्रैल, 1951 तक इस पद पर कार्य किया।
जयनारायण व्यास	<ul style="list-style-type: none"> जयनारायण व्यास को 26 अप्रैल, 1951 को मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। उन्होंने प्रथम आम चुनाव का परिणाम आने तक कार्य किया। 3 मार्च, 1952 तक वे पद पर बने रहे। अगस्त, 1952 में पहले आम चुनाव का परिणाम आ जाने के बाद वह किशनगढ़ से विधायक बने और 13 नवम्बर, 1954 तक इस पद पर बने रहे।
टीकाराम पालीवाल	<ul style="list-style-type: none"> टीकाराम पालीवाल प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। इससे पहले के सभी मुख्यमंत्री मनोनीत किये गए थे। 3 मार्च, 1952 को राज्य की प्रथम जनतांत्रिक सरकार की बागडोर टीकाराम पालीवाल ने ही संभाली। 31 अक्टूबर, 1952 तक वे इस पद पर काम करते रहे।
मोहनलाल सुखाड़िया	<ul style="list-style-type: none"> उन्होंने सिर्फ 38 साल की उम्र में प्रदेश का मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। 13 नवम्बर, 1954 को उन्होंने राज्य की कमान संभाली। इसके बाद वे 1957 में दूसरी बार, 1962 में तीसरी बार और 1967 में लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बने। चौथी बार उन्हें अविश्वास प्रस्ताव से पद से हटाने का प्रयास किया गया लेकिन 26 अप्रैल, 1967 को उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध करने के बाद 8 जुलाई, 1971 को पद से इस्तीफा दे दिया।
बरकतुल्लाह खाँ	<ul style="list-style-type: none"> बरकतुल्लाह खाँ ने 9 जुलाई, 1971 को सुखाड़िया के बाद प्रदेश की कमान संभाली। 16 मार्च, 1972 को उन्हें दूसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 11 अक्टूबर, 1973 को हृदयाघात से उनका निधन हो गया।
हरिदेव जोशी	<ul style="list-style-type: none"> बरकतुल्लाह खाँ के निधन के बाद प्रदेश की बागडोर हरिदेव जोशी को सौंपी गई। 10 मार्च, 1985 को वे दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 4 दिसम्बर, 1989 को वे तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने।
जगन्नाथ पहाड़िया	<ul style="list-style-type: none"> जून, 1980 में हुए सातवीं विधानसभा के चुनाव में जगन्नाथ पहाड़िया को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। उन्होंने 6 जून, 1980 को शपथ ली और 13 जुलाई, 1981 तक पद पर बने रहे।
शिवचरण माथुर	<ul style="list-style-type: none"> जगन्नाथ पहाड़िया के बाद 14 जुलाई, 1981 को शिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और 23 फरवरी, 1985 तक पद पर बने रहे 20 जनवरी, 1988 को मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने दूसरी बार शपथ ली और दिसम्बर, 1989 तक मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की सेवा की
हीरालाल देवपुरा	<ul style="list-style-type: none"> 23 फरवरी, 1985 से 10 मार्च, 1985 तक सिर्फ 16 दिनों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री बने।
भैरोंसिंह शेखावत	<ul style="list-style-type: none"> जून, 1977 में भैरोंसिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 4 मार्च, 1990 को उन्हें दूसरी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला।



	<ul style="list-style-type: none"> 15 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या प्रकरण के कारण उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। 1993 में एक बार फिर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और 1 दिसम्बर, 1998 तक इस पद पर अपनी सेवाएँ दी।
अशोक गहलोत	<ul style="list-style-type: none"> नवम्बर, 1998 में हुए ग्यारहवीं विधानसभा चुनाव के बाद तीन चैथाई से अधिक बहुमत से अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 1 दिसम्बर, 1998 को उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 12 दिसम्बर, 2008 को उन्हें दूसरी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला।
वसुन्धरा राजे सिंधिया	<ul style="list-style-type: none"> वसुन्धरा राजे सिंधिया राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री 8 दिसम्बर, 2003 को बनी। इसके बाद 13 दिसम्बर, 2013 को उन्हें दूसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला।

राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की सूची

मुख्यमंत्री	अवधि	विवरण
हीरा लाल शास्त्री	7 अप्रैल, 1949 - 5 जनवरी, 1951	<ul style="list-style-type: none"> स्वतंत्रता पूर्व जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय, वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक। आत्मकथा- प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र।
सी एस वेंकटाचारी	6 जनवरी, 1951 - 26 अप्रैल, 1951	
जय नारायण व्यास (राजस्थान की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार) (निर्वाचित)	26 अप्रैल, 1951 - 3 मार्च, 1952	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कवि, लेखक, पत्रकार।
टीका राम पालीवाल	3 मार्च, 1952 - 31 अक्टूबर, 1952	<ul style="list-style-type: none"> ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें बाद में उपमुख्यमंत्री बनाया गया।
जय नारायण व्यास	1 नवम्बर, 1952 - 12 नवम्बर, 1954	
मोहनलाल सुखाड़िया	11 नवम्बर, 1954 - 11 अप्रैल, 1957 13 अप्रैल, 1957 - 11 मार्च, 1962 12 मार्च, 1962 - 13 जुलाई, 1971 26 अप्रैल, 1967 - 9 जुलाई, 1971	<ul style="list-style-type: none"> उपनाम - आधुनिक राजस्थान का निर्माता। मुख्यमंत्री पद पर अब तक सबसे लम्बा(6380 दिन) कार्यकाल रहा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे।
(राष्ट्रपति शासन)	13 मार्च, 1967- 26 अप्रैल, 1967	
मोहन लाल सुखाड़िया	26 अप्रैल, 1967- 9 जुलाई, 1971	
बरकतुल्लाह खान	9 जुलाई, 1971 - 11 अक्टूबर, 1973	
हरिदेव जोशी	11 अक्टूबर, 1973 - 29 अप्रैल, 1977	<ul style="list-style-type: none"> असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे।
(राष्ट्रपति शासन)	30 अप्रैल, 1977 - 21 जून, 1977	
भैरोंसिंह शेखावत	22 जून, 1977-16 फरवरी, 1980	<ul style="list-style-type: none"> भारत के उपराष्ट्रपति रहे।
(राष्ट्रपति शासन)	17 फरवरी, 1980- 5 जून, 1980	
जगन्नाथ पहाड़िया	6 जून, 1980- 13 जुलाई, 1981	<ul style="list-style-type: none"> बिहार व हरियाणा के राज्यपाल रहे।
शिवचरण माथुर	14 जुलाई, 1981 - 23 फरवरी, 1985	<ul style="list-style-type: none"> असम के राज्यपाल रहे।
हीरा लाल देवपुरा	23 फरवरी, 1985 - 10 मार्च, 1985	<ul style="list-style-type: none"> सबसे कम समय अवधि (मात्र 16 दिन) के लिए मुख्यमंत्री बने। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें बाद में मंत्री बनाया गया।
हरिदेव जोशी	10 मार्च, 1985 - 20 जनवरी, 1988	
शिवचरण माथुर	20 जनवरी, 1988 - 4 दिसम्बर, 1989	
हरिदेव जोशी	4 दिसम्बर, 1989- 4 मार्च, 1990	
भैरोंसिंह शेखावत	4 मार्च, 1990 - 15 दिसम्बर, 1992	
(राष्ट्रपति शासन)	15 दिसम्बर, 1992 - 3 दिसम्बर, 1993	
भैरोंसिंह शेखावत	4 दिसम्बर, 1993 - 1 दिसम्बर, 1998	



अशोक गहलोट	1 दिसम्बर, 1998 - 8 दिसम्बर, 2003	
वसुन्धरा राजे सिंधिया	8 दिसम्बर, 2003 - 13 दिसम्बर, 2008	<ul style="list-style-type: none"> राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। 12वीं विधानसभा में।
अशोक गहलोट	13 दिसम्बर, 2008 - 13 दिसम्बर, 2013	
वसुन्धरा राजे सिंधिया	13 दिसम्बर, 2013 - 16 दिसम्बर, 2018	
अशोक गहलोट	17 दिसम्बर, 2018 - पदस्थ	

- 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75-1(क) में उपबन्धित किया गया कि मंत्रिपरिषद् में मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, लोकसभा के सदस्यों के कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
 - अर्थात् राजस्थान मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिकतम 30 (29+1) तथा न्यूनतम 12 (11+1) होती है।
- प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले अशोक गहलोट तीसरे व्यक्ति है।
 - इससे पहले हरिदेव जोशी और भैरोसिंह शेखावत भी तीन-तीन बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
- प्रदेश में मोहन लाल सुखाड़िया के बाद सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोट बने हैं।
 - सुखाड़िया 14 साल में चार बार मुख्यमंत्री चुने गए।
- मुख्यमंत्री के रूप में श्री हीरालाल देवपुरा (23-02-1985 से 10-03-1985) का कार्यकाल सबसे कम अवधि (16 दिन) का रहा।

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री

हालाँकि भारत के संविधान में कहीं भी उपमुख्यमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है, परन्तु उपमुख्यमंत्री राज्य सरकार का अभिन्न अंग होता है तथा मुख्यमंत्री के बाद सबसे शक्तिशाली होता है। राजस्थान में प्रथम विधानसभा आम चुनाव 1952 से अब तक 5 उपमुख्यमंत्री हुए हैं।

उपमुख्यमंत्री के बारे में तथ्य

- टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद उपमुख्यमंत्री बने।
 - इन्हें प्रथम उपमुख्यमंत्री बनने का भी श्रेय प्राप्त है।
- हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान में सर्वाधिक अवधि
- (4 वर्ष 11 माह 28 दिन तक राजस्थान के उपमुख्यमंत्री रहे।
- कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला उपमुख्यमंत्री रही।

उपमुख्यमंत्री	कार्यकाल
टीकाराम पालीवाल	1 नवम्बर, 1952 - 13 नवम्बर, 1954
हरिशंकर भाभड़ा	4 दिसंबर, 1993 - 30 नवम्बर, 1998
बनवारी लाल बैरवा	19 मई, 2002 - 4 दिसंबर, 2003
कमला बेनीवाल	12 जनवरी, 2003 - 4 दिसंबर, 2003
सचिन पायलेट	24 दिसंबर, 2018 - 11 जुलाई, 2020

3

CHAPTER

राज्य मंत्रिपरिषद्

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद- भारत के संविधान के 163, 164, 166, 167 और 177 के बारे में बताया गया है।
- भाग -भारत के संविधान का VI भाग है।
- सदन के संबंध में मंत्रियों के अनुच्छेद -

अनुच्छेद	प्रावधान
163	मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्यपाल को सहायता और सलाह देना।
164	मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान।
166	राज्य की सरकार के कार्य का संचालन
167	मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य।
177	सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार।

मंत्रिपरिषद् का गठन

- संवैधानिक स्थिति -राज्य के मंत्रीपरिषद् के आकार एवं मंत्री के पद को अलग से निर्दिष्ट नहीं लिया गया है।
- प्रधानमंत्री समय की जरूरतों और परिस्थितियों के हिसाब से इसका निर्धारण करता है।
- तीन प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बनता है-
 - कैबिनेट मंत्री- राज्य सरकार के प्रमुख विभागों जैसे कि गृह, शिक्षा, वित्त, कृषि, आदि के प्रभारी होते हैं।
 - कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इसकी बैठक में भाग लेते हैं और पूरे राज्य सरकार में फैली नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - राज्य मंत्री- स्वतंत्र रूप से विभागों को सौंपा जा सकता है या कैबिनेट मंत्रियों के साथ जोड़ा जा सकता है।
 - कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और कैबिनेट बैठक में तब तक शामिल नहीं होते हैं जब तक कि उन्हें विशेष रूप से उनके विभाग से आमंत्रित नहीं किया जाता है।
 - उपमंत्री- स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलकर काम करते हैं, उन्हें प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय जिम्मेदारियों में सहायता करते हैं।
 - वे कैबिनेट सदस्य नहीं हैं और कैबिनेट बैठक में भाग नहीं लेते।

नियुक्ति

- अनुच्छेद 164- राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।

91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003

- राज्य में मंत्रीपरिषद् में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बशर्ते राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होनी चाहिए।
- किसी भी सदन का सदस्य जो दलबदल के लिए अयोग्य हो जाता है, मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र हो जाता है।

- राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद प्राप्त करना।
- यदि वह लगातार छह महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो वह मंत्री नहीं रहेगा।
- मंत्रियों को आमतौर पर विधानमंडल के सदस्यों में नियुक्त किया जाता है, या तो विधान सभा या विधान परिषद्।
 - एक मंत्री को तब भी नियुक्त किया जा सकता है, जब वह विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो।
 - लेकिन उसे छह महीने के भीतर विधानमंडल के किसी भी सदन (चुनाव या नामांकन द्वारा) का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जायेगा।
- एक मंत्री जो विधानमंडल के एक सदन का सदस्य है, उसे दूसरे सदन की कार्यवाही में भी बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह केवल उस सदन में मतदान कर सकता है जिसका वह सदस्य है।

शपथ

- अनुच्छेद 164 द्वारा प्रशासित- राज्यपाल कार्यभार ग्रहण करने से पहले मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं -
 - भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूँगा।
 - भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा।
 - अपने कार्यालय के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और ईमानदारी से निर्वहन करूँगा।
 - बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और कानून के अनुसार न्याय करूँगा।



- जो विषय राज्य मंत्री के रूप में विचार में लाया जायेगा अथवा उन्हें ज्ञात हो उसे किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) को नहीं बताया जायेगा, सिवाय इसके कि ऐसे मंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए आवश्यक हो।

वेतन

अनुच्छेद 164- राज्य विधानमंडल नियमित आधार पर निर्धारित करता रहता है।

- एक मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य को मिलने वाले वेतन के बराबर ही वेतन व भत्ता दिया जाता है।
- इसके अतिरिक्त व्यय भत्ता (उसकी स्थिति के आधार पर), मुफ्त आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा भत्ता दिया जाता है।

मंत्रियों के उत्तर दायित्व

सामूहिक उत्तरदायित्व

- अनुच्छेद 164- राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व यानी मंत्री अपने सभी क्रियाकलापों, कार्यों के लिए राज्य विधानसभा के प्रति साझा करता है।
- जब विधानसभा मंत्रीपरिषद् के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो विधान परिषद् के मंत्रियों सहित सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है।
- मंत्रीपरिषद् राज्यपाल को सिफारिश कर सकता है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए और नए चुनाव कराए जाएँ क्योंकि सदन प्रामाणिक रूप से जनता की राय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। राज्यपाल उस मंत्रीपरिषद् के पक्ष में कुछ नहीं कर सकता है जिसने राज्य विधानसभा का विश्वास खो दिया है।

व्यक्तिगत उत्तरदायित्व

- अनुच्छेद 164- मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि राज्यपाल किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, भले ही राज्य विधानसभा का विश्वास में हो, लेकिन मुख्यमंत्री के सुझाव पर ही।

कानूनी उत्तरदायित्व

- कानूनी जवाबदेही का कोई प्रावधान नहीं है।
- किसी सार्वजनिक अधिनियम के लिए राज्यपाल के आदेश पर किसी मंत्री के प्रति हस्ताक्षरित होने की आवश्यकता नहीं है।
- इसके अतिरिक्त न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है।

राज्यपाल को सहायता एवं सलाह

अनुच्छेद 163- राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रीपरिषद् होती है।

- अपनी शक्तियों के प्रदर्शन में, सिवाय जब वह अपने प्रसादपर्यंत से अपने कार्यों को करने के लिए बाध्य है।
- इस प्रकार दी गई सलाह किसी भी अदालत में जाँच के अधीन नहीं है।

मंत्रियों का अधिकार

अनुच्छेद 177

- विधानसभा और किसी भी राज्य विधानमंडल समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होगा जिसमें वह नामित किया जा सकता है।
- उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

मंत्रिमंडल (कैबिनेट)

- मंत्रिपरिषद् का मूल एक छोटा समूह है जिसे कैबिनेट के रूप में जाना जाता है।
- यह पूरी तरह से कैबिनेट मंत्रियों से बना है।
- राज्य सरकार में यह वास्तविक कार्यकारिणी का केंद्र होता है।

इसके निम्नलिखित कार्य हैं-

- इसे राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति है।
- यह राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्धारक बनाने वाली संस्था है।
- यह राज्य सरकार की सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति है।
- यह राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य समन्वयक होती है।
- यह राज्यपाल की सलाहकार समिति के रूप में कार्य करती है।
- प्रमुख संकट प्रबंधक के रूप में, यह सभी आपातकालीन स्थितियों को संभालती है।
- यह सभी प्रमुख विधायी और वित्तीय मामलों के लिए जिम्मेदार है।
- संवैधानिक अधिकारियों और वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों जैसे उच्च-नियुक्तियाँ अधिकारियों पर इसका अधिकार है।

मंत्रिमंडल समितियाँ

- कैबिनेट को कई समितियों में संगठित किया जाता है जिन्हें कैबिनेट समितियों के रूप में जाना जाता है।
- दो प्रकार की होती है -
 - स्थायी- प्रकृति में स्थायी।
 - अल्पकालिक - प्रकृति में अस्थायी।